Court Case No- 342/23.

सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

## Summons

**फाइल. सं. NCST/DEV-98/JH/4/2021-ESDW**

**सेवा में,**

**श्री पी. एम. प्रसाद,**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मुख्यालय,
कचहरी रोड, मोराबाड़ी,
रांची-834029
झारखंड
ई-मेल: cmd.ccl.cil@coalindia.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क केअंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 21.02.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे,**आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

**मामलें का सन्दर्भ:-**

**संदर्भ 1.** जातिगत भावना से प्रेरित होकर सी.सी.एल.द्वारा आवेदक का नाम कथित रूप से झूठे मनी सूट केस में डालने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार उराँव, ग्राम-बसिया, पोस्ट-थाना बालूमाथ, जिला लातेहार-829202, झारखण्ड का अभ्यावेदन।

**सन्दर्भ 2:** आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 15.11.2021.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

**दिनांक 08, फरवरी, 2023** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुएराष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

**हस्ताक्षर**

**न्यायालय अधिकारी**

**मोहर**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003